

खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र
(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 धारा 136)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
अजमेर।

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम डूमाडा पटवार मण्डल डूमाडा
भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सराधना तहसील अजमेर की जमाबंदी संवत् 2073=76 वर्ष 2019 के खता
सं० 661 ख.सं. 451 में खेवरचन्द पुत्र सुरजमल बि०/20 जारि कुहरा सा०
सराधना का अंकन है। जबकि जमाबंदी संवत्
वर्ष 157 के खता संख्या 376 में खेवरचन्द पुत्र सुरजमल बि०/20
कुहरा अंकन दर्ज था। उक्त अंकन वर्तमान जमाबंदी
में बिना किसी आधार के गलत अंकन हो गया। अतः जमाबंदी में पूर्व जमाबंदी सं० वर्ष 157 के अनुसार दुरुस्ती
करने की कृपा करावे।

दिनांक

03/07/2023

संलग्न-

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) अजमेर

कमांक/भू.अ./ 946/

दिनांक 04/07/23

पता

खेवरचन्द पुजारी
मो० न० 9414840557

जांच रिपोर्ट हल्का पटवारी/भू-अभिलेख निरीक्षक/तहसीलदार

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की जांच की गई कि वर्ष 157 सराधना जमाबंदी संवत् 2073=76
2019 के खता सं. 661, ख.सं. 451 पर खेवरचन्द पुत्र सुरजमल
बि०/20 जारि कुहरा सा० सराधना का अंकन दर्ज है जो गलत है।
अतः उक्त अंकन के स्थान पर नवीन अंकन खेवरचन्द पुत्र सुरजमल बि०/20, जारि कुहरा

सा० सराधना
दुरुस्त किये

महंगाई राहत केंद्र

हनीष
हस्ताक्षर पटवारी

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2023

हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक

तहसीलदार, अजमेर
हस्ताक्षर तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

ब्रमांक उखअ/राजस्व/शिविर/21/230

00 आदेश 00

दिनांक:- 4/7/23

रिपोर्ट व अनुशांषा पटवारी हल्का डूमाडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सराधना तहसीलदार
अजमेर के आधार पर ग्राम डूमाडा पटवार मण्डल डूमाडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सराधना
तहसील अजमेर की जमाबंदी के खता सं 661 खसरा नम्बर 451 पर
नवीन अंकन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जो है।
तहसीलदार अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की पालना करने से पूर्व रिकॉर्ड का मिलान/जांच एवं मा. न्यायालय
में वाद विचाराधीन एवं स्थगन आदेश की पूर्ण जानकारी करने के पश्चात् ही रिकॉर्ड में अमल दराफ्त करावे।

(खेवरचन्द पि. सुरजमल)

(खेवरचन्द)

उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, अजमेर
महंगाई राहत केंद्र
प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2023